न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह–विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ,नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 308/2026

मो0 चांद उर्फ मो0 आशिक अनवर बनाम बिहार सरकार

सोहसराय थाना कांड सं0 316/2025

अंतर्गत धारा 126(2),115(2), 109(1), 74, 352, 351(2), 3(5) B.N.S

12.03.2026

अभियुक्त **01. मो0 चांद उर्फ मो0 आशिक अनबर** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठक तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री अनुज कुमार एवं सूचिका के निजी अधिवक्ता श्री आशीष वर्मा का तर्कपूर्ण बहस सुना ।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 22.10.2025 समय करीब 05:20 बजे शाम में 1. मो0 जाहिद 2. मो0 इरम, 03 मो0 जैद, 04 मो0 आफताब, 05 मो0 आसिफ, 06 कासिम, 07 शाहिद प्रवीण, 08 आसमान, 09 मो0 राज 09 आसमां जाहिद की पत्नी 10 मो0 चांद सभी मिलकर आए और परिवार के साथ बाताबाती करने लगे एवं इसी क्रम में ईंट–पत्थर, लाठी–डंडे से मारपीट करने लगे, तथा सभी लड़कियों सहित उनके भाई को मार–मार सड़क पर घसीटने लगे, जिससे जख्मी हुए उनकी मां निलाफर पर जहां बहाने साहिमा प्रवीण, खुशतर प्रवीण, खुशबू प्रवीण तथा विकलांग बहन को बाल पकड़ कर खींच चौराहे से घसीटा इसके अलावा परिजन से सभी मर्द धमकी दिया कि घर की औरतों को बाहर निकलने पर रेप और किडनैप करवाएगें। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पूर मोहल्ले के लोग को अपना मुटठी में रखते है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक को झूठे व गलत आधार पर इस वाद में फंसा दिया गया है । उभयपक्ष सह–ग्रामीण है। उनका यह भी कथन है प्रस्तुत कांड का एक प्रति कांड सोहसराय थाना कांड सं0 315/2025 मो0 जाहिद आलम के द्वारा सूचिका के परिवार के सदस्यों के विरूद्ध दर्ज है। बी0एन0एस0 की धारा 109(1) एवं 74 को छोड़कर अन्य धाराएं जमानतीय प्रकृति के है। उपरोक्त धाराओं का अभियोग आवेदक के विरूद्ध बनता प्रतीत नहीं होता है । उनका यह भी कथन है कि आवेदक के विरूद्ध मारपीट या किसी तरह का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है तथा लगाए गए आरोप सामान्य व बहुप्रयोज्य है। किसी को कोई जख्म कारित नहीं हुआ है। इस वाद के कई सह–अभियुक्तों को पूर्व में अग्रिम जमातन आवेदन सं0 2033/25, 2076/25 एवं 2186/25 के माध्यम से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय एवं अग्रिम जमानत आवेदन स0 2342/25 एवं 283/26 के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को पुलिस द्वारा गिरफतार किये जाने की संभावना है । अतः आवेदक को जमानत का लाभ प्रदान किया जाय ।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के जमानत आवेदन का विरोध करते

<u>न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह–विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ,नालन्दा</u>।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 308/2026

मो0 चांद उर्फ मो0 आशिक अनवर बनाम बिहार सरकार

सोहसराय थाना कांड सं0 316/2025

अंतर्गत धारा 126(2),115(2), 109(1), 74, 352, 351(2), 3(5) B.N.S

<u>लगातार</u>

12.03.2026

हैं तथा कथन करते हैं कि इस वाद के कई सह–अभियुक्तों को पूर्व में जमानत का लाभ प्रदान किया गया है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख तथा कांड दैनिकी का अवलोकन किया और पाया कि प्रस्तुत कांड का एक प्रति कांड सोहसराय थाना कांड सं0 315/2025 मो0 जाहिद आलम के द्वारा सूचिका के परिवार के सदस्यों के विरूद्ध दर्ज किया गया है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग जख्मी हुए है। यह वाद Free-Fight का है । कांड दैनिकी में जख्मी के जख्म प्रतिवेदन का उल्लेख है जिसमें जख्म को कड़े व भोथरे पदार्थ से कारित पाया गया है तथा शरीर के किसी संवेदनशील भाग पर कोई गंभीर जख्म नहीं पाया गया है। यह भी विदित होता है आवेदक के विरूद्ध मारपीट या किसी प्रकार का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है तथा लगाए गए अरोप सामान्य एवं बहुप्रयोज्य है । इस वाद के कई सह–अभियुक्तों को पूर्व में अग्रिम जमातन आवेदन सं0 2033/25, 2076/25 एवं 2186/25 एवं अग्रिम जमानत आवेदन स0 2342/25 एवं 283/26 के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर पूर्ण विचार करते हुए आवेदक को आदेश पारित होने के एक माह के अंदर, विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लिये जाने पर, संबंधित विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर, बी0एन0एस0एस0, 2023 की धारा 482 में उल्लेखित शर्तों के अधीन आवेदक को 10,000/– रु0 के जमानत तथा उसी राशि समतुल्य दो प्रतिभूओं वाले बंधपत्र निष्पादित करने के उपरांत जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित एवं संशोधित)

(संजीव कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष–न्यायाधीश
नालन्दा, बिहारशरीफ।